

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 502]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 12, 2015/श्रावण 21, 1937

No. 502]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 12, 2015 /SRAVANA 21, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2015

सा.का.नि. 627(अ).—केन्द्र सरकार विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियम बनाए हैं :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विशेष आर्थिक क्षेत्र, 2006 में, नियम 30, उपनियम (1) में तारीख 26 जून, 2001 की अधिसूचना सं. 42/2001—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी) में निर्दिष्ट की गई एआरई-1 "शब्दों एवं अंकों" को तारीख 26 जून, 2001 की अधिसूचना सं. 42/2001—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी) में निर्दिष्ट की गई एआरई -1 और तारीख 6 नवंबर, 2004 की अधिसूचना सं. 21/2004 – केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी) के निर्दिष्ट में एआरई -2 " शब्दों, अक्षरों और अंकों" रखा जाएगा।

[फा. सं. डी. 6/35/2011—एसईजेड (भाग)]

डॉ गुरुप्रसाद महापात्र, संयुक्त सचिव

टिप्पण : विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा सा.का.नि. 54(अ) तारीख 10 फरवरी, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए और सा.का.नि. 564(अ) तारीख 16 जुलाई, 2015 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th August, 2015

G.S.R. 627(E).—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely:—

- (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Second Amendment) Rules, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Economic Zones Rules, 2006, in rule 30, in sub-rule (1), for the words, letters and figures “ARE-1 referred to in Notification number 42/2001-Central Excise (NT), dated the 26th June, 2001”, the words, letters and figures “ARE-1 referred to in Notification number 42/2001-Central Excise (NT), dated the 26th June, 2001 and ARE-2 referred to in Notification number 21/2004-Central Excise (NT), dated the 6th November, 2004” shall be substituted.

[F. No. D. 6/35/2011-SEZ (Pt.)]

Dr. GURUPRASAD MOHAPATRA, Jt. Secy.

Note : The Special Economic Zones Rules, 2006 were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R 54(E), dated the 10th February, 2006 and last amended *vide* G.S.R. 564(E), dated the 16th July, 2015.